राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9066/2013

श्रीमती शांति पत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र सोलंकी, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी घांचियों का मोहल्ला, जैतारण, जिला पाली।

-याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, अजमेर के माध्यम से।

2. उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), जिला परिषद, राजसमंद।

4. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।

5. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग, राजसमंद।

6. ब्लॉक संभाग अधिकारी, रेलमगरा, राजसमंद।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री करण जोशी.

प्रतिवादी के लिए: श्री महावीर बिश्नोई, एएजी

श्री हर्षवर्द्धन सिंह।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>14/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को राज्य बीमा राशि बकाया राशि पर ब्याज सहित जारी करने तथा समय पर वैध राशि जारी न करने के लिए प्रतिवादी विभाग पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाने के लिए उचित निर्देश देने की मांग कर रहा है।

2. अनावश्यक विवरण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पति शिक्षक के रूप में सेवारत थे। दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 24.10.2010 को हो गई।

2.1 सेवा नियमों के अनुसार राज्य बीमा और सीपीएफ राशि याचिकाकर्ता के मृत पति के वेतन से काटी जानी थी। जून, 2010 से अक्टूबर, 2010 तक यह राशि काटी गई। दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 24.10.2010 को हो गई। हालांकि, नवंबर, 2010 से याचिकाकर्ता के पति के मामले में यह राशि नहीं काटी गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 02.11.2011 को जिला कलेक्टर, राजसमंद को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 15.05.2012 को वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस देने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला, तो याचिकाकर्ता ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7795/2012 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस

पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने के निर्देश के साथ दिनांक 03.08.2012 के आदेश द्वारा निर्णय लिया गया।

2.2. दिनांक 03.08.2012 के आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.01.2013 को पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.03.2013 के आदेश (अनुलग्नक 8) के अनुसार किया गया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है तथा राज्य बीमा राशि के दावे के संबंध में, याचिकाकर्ता को पेंशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रथम घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, यह रिट याचिका।

3. प्रतिवादी संख्या 5 (राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग) द्वारा प्रस्तुत उत्तर में बचाव पक्ष ने कहा कि मूल विभाग द्वारा जमा किए गए चालान संख्या 63 दिनांक 27.10.2010 में मृतक के संबंध में मार्च, 2010 की प्रथम बीमा कटौती शामिल नहीं थी। इसी प्रकार, चालान संख्या 75 दिनांक 09.11.2010, जिसकी राशि 88350.53 रूपये मूल विभाग द्वारा जमा की गई, में भी मृतक पति के लिए माह मार्च, 2010 की प्रथम बीमा कटौती शामिल नहीं की गई। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से भी पत्राचार किया गया।

3.1 बीमा पॉलिसी में बीमा दावा तभी कवर माना जाता है, जब कर्मचारी द्वारा प्रथम घोषणा की जाती है तथा बीमा के लिए अपेक्षित प्रथम कटौती कर्मचारी के वेतन से की जाती है। कटौती के पश्चात जब उक्त राशि जमा की जाती है, तो सत्यापन के पश्चात ही कर्मचारी का बीमा जोखिम कवर होता है। वर्तमान मामले में न तो मृतक कर्मचारी द्वारा प्रथम कटौती की गई, न ही मूल विभाग द्वारा माह मार्च, 2010 के लिए अपेक्षित कटौती की गई। इसे प्रतिवादी मूल विभाग द्वारा भी दिनांक 21.03.2023 के पत्राचार द्वारा

स्वीकार किया गया। घोषणा प्राप्त करने तथा बीमा प्रीमियम राशि काटने का पूर्ण उत्तरदायित्व मूल विभाग का है। इसलिए, उत्तर देने वाले प्रतिवादी की ओर से कुछ नहीं किया जा सकता है और याचिका खारिज की जाती है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

5. अपनी राय देने से पहले, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से दायर जवाब में लिए गए प्रारंभिक प्रस्तुतियों के पैरा संख्या 3 को शब्दशः पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

> "वर्तमान मामले में, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि बीमा पॉलिसी पर बीमा दावा तभी कवर माना जाता है जब कर्मचारी द्वारा प्रथम घोषणा की गई हो तथा बीमा के लिए आवश्यक प्रथम कटौती कर्मचारी के वित्तीय वर्ष के मार्च माह के वेतन से की गई हो जिसमें उसे नियमित किया गया था। कटौती के पश्चात जब उक्त राशि उत्तरदाता प्रत्यर्थी संख्या 5 के पास जमा हो जाती है, तब सत्यापन के पश्चात ही कर्मचारी का बीमा जोखिम कवर होता है। न तो प्रथम कटौती मृतक कर्मचारी द्वारा की गई थी और न ही मार्च, 2010 माह के लिए आवश्यक कटौती मूल विभाग द्वारा की गई थी तथा प्रत्यर्थी मूल विभाग द्वारा भी दिनांक 21.03.2023 के पत्र तथा उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, उदयपुर को दिनांक 01.02.2013 के पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि कर्मचारी द्वारा प्रथम घोषणा नहीं की गई थी तथा मार्च, 2010 की कटौती मूल विभाग द्वारा नहीं की गई थी। घोषणा प्राप्त करने और बीमा प्रीमियम राशि काटने की

पूरी जिम्मेदारी मूल विभाग की है और यह बीमा दावों को पारित करने के लिए बाध्य कर्तव्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जब मार्च, 2010 की पहली कटौती और राज्य बीमा पॉलिसी के नियमों के अनुसार पूरी कटौती की गई थी और वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए उत्तर देने वाले प्रतिवादी की ओर से कुछ भी नहीं किया जा सकता है, सिवाय उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा पूरी की गई प्रक्रिया के। दिनांक 01.02.2013 के पत्र की प्रति इसके साथ प्रस्तुत की गई है और अनुलग्नक आर / 5/1 के रूप में चिह्नित है।

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि मार्च, 2010 के एक महीने के लिए प्रीमियम न काटने का भार/दोष याचिकाकर्ता के पति के मूल विभाग पर डाला जा रहा है, जहां वह कार्यरत था, जिसके परिणामस्वरूप उसका बीमा समाप्त हो गया। इस प्रकार यह बात सामने आई है कि याचिकाकर्ता के पति ने कभी भी लिखित रूप में या अन्यथा विभाग को यह सूचित नहीं किया कि वह आगे प्रीमियम का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए उसका नाम पॉलिसी लाभों से काट दिया जाए।

5.1. इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि मार्च, 2010 के एक महीने के अलावा, याचिकाकर्ता के मृत पति के वेतन से बीमा प्रीमियम की कटौती 24.10.2010 को उनकी मृत्यु तक लगातार की गई।

5.2. उनकी मृत्यु के बाद जब विधवा ने कर्मचारी राज्य बीमा पॉलिसी का लाभ मांगा तो उनके दावे को इस बहाने से खारिज कर दिया गया कि उनके पति ने मार्च, 2010 के महीने का प्रीमियम नहीं भरा था।

यह स्पष्ट, खुला और बंद मामला है, जिसमें मामला उल्टा है, क्योंकि विभाग ने खुद ही देय प्रीमियम नहीं काटा, जबकि याचिकाकर्ता के पति ने ऐसा करने का विकल्प चुना था। यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि याचिकाकर्ता के पति शिक्षक ग्रेड III के पद पर कार्यरत थे, उन्हें मार्च, 2010 के महीने के वेतन से देय प्रीमियम नहीं काटने में विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई प्रशासनिक चूक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

5.3. इसके अलावा, जब बाद के महीनों के लिए विभाग द्वारा देय प्रीमियम काटा गया, तो उनके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि उनके मूल विभाग द्वारा किसी विशेष महीने के लिए प्रीमियम का भुगतान न करने में कोई चूक हुई थी।

6. इस प्रश्न पर कि याचिकाकर्ता किस प्रकार मार्च, 2010 के एक महीने के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान न करने के लिए जिम्मेदार है, प्रतिवादियों की दलीलों से या प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा बहस के दौरान भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

7. इस आधार पर, प्रतिवादियों को विधवा को प्रतिकूल परिणामों में डालकर अपने स्वयं के गलत का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

8. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को आवश्यक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है। प्रतिवादियों को आवश्यक गणना करने और विधवा को बीमा राशि भेजने का निर्देश दिया जाता है, जो इस न्यायालय के समक्ष लागू सेवा नियमों के अनुसार स्वीकार्य ब्याज के साथ है। मार्च, 2010 के महीने के लिए बीमा प्रीमियम

याचिकाकर्ता को भुगतान किए जाने वाले बकाया से समायोजित किया जा सकता है।

9. आज से दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक अभ्यास किया जाना चाहिए।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।